न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री मनोज मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :–160/2018

प्रस्तुति दिनांकः–13.09.2018

1. रमेश
2. जीतराम

} पि0 श्री पूनाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता कमला पत्नी श्री पूनाराम जाति ओड निवासी चक 9 एफ.डी.एम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

3. कमला पत्नी श्री पूनाराम जाति ओड निवासी चक 9 एफ.डी.एम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्री सोनाराम पुत्र श्री खेमाराम जाति ओड निवासी चक 9 एफडी.एम फरीदसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. श्री बृजलाल
3. श्री पटवारी
4. श्री हंसराज
5. श्री अंग्रेज
6. श्री नेतराम
7. श्री दुलाराम

} पि0 श्री सोनाराम जाति ओड निवासी चक 9 एफ.डी.एम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

8. प्रबंधक यूको बैंक शाखा सरदारगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
10. श्रीमान उप–पंजीयक साहब सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

.....**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– 1. श्री अशोक छाबड़ा अभिभाषक (प्रार्थी नं0 1 ता 3)

2. श्री राकेश सारस्वत अभिभाषक (अप्रार्थी नं0 1)

निर्णय

दिनांकः– 23/09/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88–188–91ए–209 आरटीए के तहत इस न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी नं0 1 श्री सोनाराम प्रार्थी नं0 1 व 2 के दादा व अप्रार्थी नं0 3 के ससुर है एवं अप्रार्थी नं0 2 ता 7 के पिता है। अप्रार्थी नं0 1 श्री सोनाराम के एक पुत्र श्री पूनाराम का देहान्त हो चुका है। प्रार्थीगण स्व0 श्री पूनाराम के जायज वारिस है। अप्रार्थी नं0 1 श्री सोनाराम के नाम से चक 10 एफ.डी. एम खाता नं0 88 प0न0 113/357 कि0न0 1 ता 18 में 4.554 है0 खातेदारी भूमि है। जो अप्रार्थी नं0 1 श्री सोनाराम को पुख्ता आंवटन हुई थी। जो कि परिवार के मुखिया के तौर पर आंवटन हुई थी। उक्त भूमि परिवार की एक युनिट मानते हुये आंवटन की गई थी। परिवार के प्रत्येक सदस्य का उक्त भूमि में हक व हिस्सा बनता है। अतः प्रार्थीगण को उक्त भूमि में 1/8 हिस्सा का हकदार घोषित करवाने एवं अप्रार्थी नं0 1 के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार है। इस आशय से वाद प्रस्तुत किया है।

.....लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 17:24:09 IST
Reason: SelfAttested

वाद में वर्णित विवादित भूमि अप्रार्थी नं0 1 श्री सोनाराम अपने नाम की उक्त 4.554 है0 भूमि को प्रार्थीगण को हिस्सा देने से बचने के लिये भूमि रहन व बैचान करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थी इसमें कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को न पूरा होने वाला नुकसान होगा, एवं वादपत्र का मकसद समाप्त हो जायेगा। जबकि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनता हैं व भार सन्तुलन भी प्रार्थीगण के हक में पूर्णतया साबित है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आरटीए प्रस्तुत कर चक 10 एफ.डी.एम खाता नं0 88 प0न0 113/357 कि0न0 1 ता 18 में 4.554 है0 खातेदारी भूमि में 1/8 हिस्सा जो कि प्रार्थीगण का बनता हैं, को किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को रहन, बैय व हस्तान्तरण ना करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत चाही गई। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 चक 10 एफ.डी.एम खाता नं0 88/73 एवं स्व0 श्री पूनाराम का मृत्यु प्रमाण–पत्र व वारिस प्रमाण पत्र की चित्रप्रतियां प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी नं0 1 ता 3,7 ने दिनांक 23.12.2019 को जरिये वकील हाजिर होकर जबाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। शेष अप्रार्थीगण के खिलाफ दिनांक 29.10.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दोनो पक्षो की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण नं0 1 ता 3 के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि जैर प्रार्थना पत्र रकबा 4.554 है0 खातेदारी भूमि अप्रार्थी नं0 1 श्री सोनाराम को परिवार के मुखिया के तौर पर आंवटन हुई थी। उक्त भूमि परिवार की एक युनिट मानते हुये आंवटन की गई थी। परिवार के प्रत्येक सदस्य का उक्त भूमि में हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण अप्रार्थी नं0 1 श्री सोनाराम के मृतक पुत्र पूनाराम के जायज वारिस है। अप्रार्थी नं0 1 श्री सोनाराम अपने नाम की उक्त 4.554 है0 भूमि को प्रार्थीगण को हिस्सा देने से बचने के लिये भूमि रहन व बैचान करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थी इसमें कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को न पूरा होने वाला नुकसान होगा, एवं वादपत्र का मकसद समाप्त हो जायेगा। जबकि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनता हैं व भार सन्तुलन भी प्रार्थीगण के हक में पूर्णतया साबित है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आरटीए स्वीकार कर चक 10 एफ.डी.एम खाता नं0 88 प0न0 113/357 कि0न0 1 ता 18 में 4.554 है0 खातेदारी भूमि में 1/8 हिस्सा जो कि प्रार्थीगण का बनता हैं, को किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को रहन, बैय व हस्तान्तरण ना करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी खिलाफ अप्रार्थी नं0 1 श्री सोनाराम जारी करने का निवेदन किया। अपने कथन की पुष्टि में RBJ 2015 PAGE 515 नजीर प्रस्तुत की।

.....लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 17:24:09 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने निवेदन किया कि विवादित भूमि स्व0 श्री सोनाराम को आंवटन हुई है। जो कि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र की मद सं0 4 में स्वयं स्वीकार कर रहें है। आंवटित रकबा स्वअर्जित रकबा की श्रेणी में आता है। स्वअर्जित रकबा में अप्रार्थी नं0 1 के जीवनकाल में कोई हक व हिस्सा पाने के प्रार्थीगण हकदार नही है एवं ना ही खातेदार के खिलाफ कोई स्थगन प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थी नं0 1 उक्त भूमि का वैध स्वामी है। वह उसका शान्ति पूर्वक उपयोग व उपभोग कर रहा हैं। इसलिये प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति या असुविधा होने की सम्भावना नही हैं एव ना ही प्रथम दृष्टया मामला या सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें। कथन की पुष्टि में RRT 2017 (2) PAGE 907, RBJ 2018 PAGE 499, RRT 2015(1) PAGE 633, RLW 2012 (2) PAGE 935 के निर्णय की प्रतिलिपि प्रस्तुत है।

दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत निर्णयों पर मनन किया गया। इसमें कोई सन्देह नही हैं कि प्रार्थीगण अप्रार्थी नं0 1 के पौत्र व पुत्रवधु है। परन्तु यह भी तथ्य स्वीकार्य हैं कि जैर प्रार्थना पत्र भूमि वाके चक 10 एफ.डी.एम खाता नं0 88 प0न0 113/357 कि0न0 1 ता 18 में 4.554 है0 खातेदारी भूमि अप्रार्थी नं0 1 श्री सोनाराम को आंवटन हुआ था। आंवटित रकबा आंवटी की स्वअर्जित सम्पति होती हैं या नही उसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य व सहादत के आधार पर परीक्षण के उपरान्त ही तय होना है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में धारा 212 के प्रावधानो के तहत प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू तय किया जाना होता हैं। जिसकी पुष्टि RLW 2012 (2) PAGE 935 में दिये गये मत से होती है। अप्रार्थी नं0 1 श्री सोनाराम प्रश्नगत आराजी का अभिलिखत खातेदार हैं और इस प्रकार से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू अप्रार्थी नं0 01 के पक्ष में रहते है। अभिलिखित खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। जिसकी पुष्टि RBJ 2018 PAGE 499, RRT 2015(1) PAGE 633 पर प्रतिपादित सिद्वान्त से भी होती है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर RBJ 2015 PAGE 515 इस प्रकार पर लागू नही होते है।

अतः आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 212 आरटीए सारहीन होने के कारण निरस्त किया जाता हैं पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.09.2018 निरस्त की जाती है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 17:24:09 IST
Reason: SelfAttested